रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112022-240435 CG-DL-E-19112022-240435

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) PART II—Section 3—Sub-section (iii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] No. 74] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944

### भारत निर्वाचन आयोग

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2022

आ.अ. 74(अ).—यतः, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा कर दी गई है और घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन दोनों राज्यों में आम चुनावों की अधिसूचना नीचे उल्लिखित तारीखों पर जारी की गई थी

- 1. 17.10.2022 को हिमाचल प्रदेश, एवं
- 2. 05.11.2022 और 10.11.2022 को गुजरात
- 2. यतः, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/83/2022 दिनांक 05.11.2022 के तहत उत्तर प्रदेश के 21- मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा के 01 पदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 21 सरदारशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 93 कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 80 भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश के 37 रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है एवं प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/87/2022 दिनांक 08.11.2022 के तहत उत्तर प्रदेश के 15 खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है।
- 3. यतः, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/88/2022 दिनांक 10.11.2022 के तहत उत्तर प्रदेश के 37 रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया है।

7711 GI/2022 (1)

- 4. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि "(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अविध के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
- (2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-
- (क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अविध मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;
- (ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी:

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

- (3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"।
- 5. यत:, आयोग ने 12.11.2022 (शनिवार) को पूर्वाहन 8.00 बजे से 05.12.2022 (सोमवार) को अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच की अविध को, ऐसी अविध के रूप में अधिसूचित किया था, जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित था।
- 6. अब, इसलिए, आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/83/2022 दिनांक 05.11.2022 एवं संख्या ईसीआई/पीएन/87/2022 दिनांक 08-11-2022 द्वारा उप निर्वाचन की घोषणा के दृष्टिगत,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खंड. दिनांक 10.11.2022 के अधिक्रमण में, 12.11.2022 (शनिवार) को पूर्वाहन 8.00 बजे से 05.12.2022 (सोमवार) को अपराहन 6.30 बजे तक के बीच की अवधि को,ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
- 7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

[सं. 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड–II]

आदेश से.

एस. बी. जोशी, प्रधान सचिव

### **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2022

- O.N. 74(E).—Whereas, the Election Commission has already announced the program for General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat as per the schedule announced and Notifications for the General Elections in these two States were issued on the dates mentioned below: -
  - (i) Himachal Pradesh on 17.10.2022, and
  - (ii) Gujarat on 05.11.2022 and 10.11.2022
- 2. Whereas, the Election Commission vide its Press Note No. ECI/PN/83/2022 dated 05-11-2022, has announced schedule for bye-elections in 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 01-Padampur Assembly Constituency of Odisha, 21-Sardarshahar Assembly Constituency of Rajasthan, 93-Kurhani Assembly Constituency of Bihar, 80-Bhanupratappur(ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh & 37-Rampur Assembly Constituency of Uttar Pradesh and vide its Press Note No. ECI/PN/87/2022 dated 08-11-2022, has announced schedule for bye-election in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh.
- 3. Whereas, the Election Commission vide its Press Note No. ECI/PN/88/2022 dated 10-11-2022, has revised the schedule of **bye-election in 37-Rampur Assembly Constituency of Uttar Pradesh.**
- 4. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.
- (2) For the purposes of sub-section (1), Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely: —
- (a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;
- (b) In case of a by-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

- (3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."
- 5. Whereas, the Commission had notified the period between 8:00 A.M. on 12-11-2022 (Saturday) and 5.30 P.M. on 05-12-2022 (Monday) as the period during which conducting any Exit Poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat; were prohibited.
- 6. Now, therefore, in view of announcement of bye election vide Commission's Press Note No. ECI/PN/83/2022 dated 05-11-2022 and No. ECI/PN/87/2022 dated 08-11-2022, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, in supersession of its notification No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.I, dated 10-11-2022, hereby notifies the period between 8:00 A.M. on 12-11-2022 (Saturday) and 6:30 P.M. on 05-12-2022 (Monday) as the period during which conducting any Exit Poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat and abovementioned bye-elections, shall be prohibited.

7. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter, including results of any Opinion Poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hour ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with the aforesaid General elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat and abovementioned bye-elections.

[No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.II]

By Order,
S. B. JOSHI, Principal Secy.